

**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
पत्र संख्या-06/निबंधन-33/2015 परि0...../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,  
अवर सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।  
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक .....

विषय:- **M/S. force Motors Ltd . के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s - **force Motors Ltd.** के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	Type Approval Certificate No/Date	Types of Vehicle	EX -Showroom Price
1	<b>OX 25 ORCHARD DLX TRACTOR</b>	CMVR/T-Amd- 01/ T-855/940/ 2015-2016/ 08.10.2015	Agriculture Tractor	Rs. 4,62,820/-
2	<b>BALWAN 330 TRACTOR</b>	CMVR/T-859/944/ 2015-2016/ 09.10.2015	Agriculture Tractor	Rs. 5,02,440/-
3	<b>BALWAN 400 DLX TRACTOR</b>	CMVR/T-Ext-02/T-809/893/ 2015-2016/ 17.04.2015	Agriculture Tractor	Rs. 5,58,880/-
4	<b>BALWAN 450 TRACTOR</b>	CMVR/T-Ext-04/T-560/640/ 2013-2014/ 28.06.2013	Agriculture Tractor	Rs. 5,71,892/-
5	<b>BALWAN 500 DLX TRACTOR</b>	CMVR/T-Amd- 01/ T-858/943/ 2015-2016/ 09.10.2015	Agriculture Tractor	Rs. 5,09,001/-
6	<b>BALWAN 500 S-DLX TRACTOR</b>	CMVR/T-Amd- 01/ T-860/945/ 2015-2016/ 09.10.2015	Agriculture Tractor	Rs. 6,32,945/-

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण (वैधता) अधिनियम, 1995 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,  
ह0/-  
अवर सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O

ज्ञापांक : .....

पटना, दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- Authorised Signatory: For **force Motors Ltd. Mumbai Pune Road, Akurdi, Pune-411035** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .....

5425

पटना, दिनांक : .....

7/9/18

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Vahan Software के Master Box में इस मॉडल की प्रविष्टि कर दिया जाय/I.T. Manager, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना